न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)

राजस्व वाद सं. : 243/2023
अंतर्गत धारा 91 व 188 राज. काश्तकारी अधिनियम
बईजलास : सुरेश कुमार, आर. ए. एस.

वादी :–

नोरतीदेवी पत्नी श्री बगदाराम,
जाति बारूपाल, निवासी मेड़ास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादी :–

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
2– पटवारी हल्का, मेड़ास
3– नेमाराम पुत्र भंवरूराम जाति बावरी निवासी मेड़ास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

निर्णय

दिनांक : 3/9/24

वादी ने यह वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेड़ास की सरहद में खेत स्थित पुराना खसरा नमबर 131 रकबा 42 बीघा 5 बिश्वा में से 15 बीघा मांगीलाल पुत्र पुरणराम जाति मेघवाल निवासी झंगडवास तहसील डेगाना जिला नागौर के खातेदरी का काश्त कब्जासुद था जो दिनांक 29–09–2004 को वादीनी ने खरीद लिया जिसके आधार पर खातेदारी का इन्दराज वादीनी के नाम किया गया जिसे पड़ौस निम्न है उत्तर में–नेमाराम बावरी का खेत, दक्षिण में–आम रास्ता लाम्बिया से रोहिसा का, पूर्व में–पांचाराम, पुसाराम व आशाराम गुर्जर का खेत, पयिचम में–आम रास्ता, वर्तमान सेटलमेन्ट मे खसरा नम्बर 131 के नये खसरा नम्बर 280 रकबा 4.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 2.42 हैक्टेयर कायम किये गये। मगर राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 280 रकबा 4.46 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा नम्बर 279 रकबा 2.42 हैक्टेयर की खातेदारी वादीनी के नाम दर्ज कर दी। मौके पर खसरा नम्बर 280 रकबा 4.46 हैक्टेयर में से रकबा 2.42 हैक्टेयर पर वादीनी का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 279 रकबा 2.42 हैक्टेयर पर काश्त कब्जा प्रतिवादीगण संख्या 3 का है मगर राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से खातेदरी काश्त कब्जा के विपरित दर्ज कर दी जो महेज एक लिपिकिए भुल है जो दुरूस्त किया जाना न्याय उचित है इसप्रकार वादीनी ने वाद में इस्थदुआ चाही गई की मौजा मेड़ास स्थित खसरा नम्बर 280 रकबा 4.46 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 279 रकबा 2.42 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 280 रकबा 4.46 हैक्टेयर में दक्षिणी तरफ रकबा 2.42 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 3 के स्थान पर वादीनी के नाम दर्ज की जावे व खसरा नम्बर 279 रकबा 2.42 हैक्टेयर के खातेदारी वादीनी के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे। इस बाबत् वाद पेश किया जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी को तलब किया व प्रतिवादी से जांच रिपोर्ट मंगाई गई जिसमें पटवारी हल्का एवं भू. रा. निरिक्षक ने अपनी रिपोर्ट में मौका स्थिती अनुसार रिपोर्ट पेश की एवं माफिक वाद रिकोर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

इस प्रकार वादी की तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर मौजा मेड़ास स्थित खसरा नम्बर 280 रकबा 4.46 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 279 रकबा 2.42 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 280 रकबा 4.46 हैक्टेयर में दक्षिणी तरफ रकबा 2.42 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 3 के स्थान पर वादीनी के नाम दर्ज की जावे व खसरा नम्बर 279 रकबा 2.42 हैक्टेयर के खातेदारी वादीनी के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

प्रतिवादीगण संख्या 3 के नाम दंर्ज की जावे। व तहसीलदार रिपोर्ट में नजरी नक्शा निर्णय का भाग माना जावे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

आज दिनांक 3/9/24. को यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर